न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 52/2020

रामेश्वरलाल गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण गुर्जर निवासी पलाई तह. उनियारा जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 31-12-2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला-टोंक को दिनांक 7-8-2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1-दिनांक 8-12-2019 को हल्का पटवारी बालूराम चोधरी द्वारा ग्राम पलाई के बांगनबाड़ी केन्द्र के पास आवण्टनशुदा, पट्टेशुदा भूखण्ड की मौका रिपोर्ट बनाई गई थी जिसकी प्रमाणित कॉपी उपलब्ध करवाई जावे। यह आवण्टन मेरे भाई पूरणमल व मेरे पिता रामनारायण गुर्जर के नाम 1975 में हुए थे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने उनके पत्र कमांक 1207 दिनाक 21-12-2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पत्र कमांक 142/राजस्व दिनांक 2.9.2020 से भिजवाई जाकर आवेदक को सूचित किया जा चुका है, जिसकी प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर ★ टोंक (राजस्थान) ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:43
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner